तारीख हुकम तारीखहुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज राजस्व आवेदन संख्या 173/2019 केसाराम बनाम अणछीदेवी
	राज्य सरकार के निर्देशानुसार प्रशासन गांवों के संग अभियान–2021 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत मुख्यालय पर न्याय प्रदान करने के उद्देश्य से पक्षकारान ग्राम पंचायत मुख्यालय मूढ़ों की ढ़ाणी पर जरिये नोटिस तलब होकर पत्रावली दिनांक 16.12.2021 को ग्राम पंचायत मुख्यालय मूढ़ों की ढ़ाणी, राजीव गांधी सेवा केन्द्र मूढ़ों की ढ़ाणी पर पेश हो। उपखण्ड अधिकारी बाड़मेर
16.12.2021	यह पत्रावली आज बमुकाम मूढ़ों की ढ़ाणी, राजीव गांधी सेवा केन्द्र मूढ़ों की ढ़ाणी प्रशासन गांवों के संग अभियान–2021 में पेश हुई। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण अनुउपस्थित। अप्रार्थीगण के नॉटिस तामिल की श्रेणी में प्राप्त हो चुके है। प्रार्थी केसाराम पुत्र जालूराम जाति सुथार निवासी विशनासर मूढ़ो की ढ़ाणी द्वारा दिनांक 20.10.2021 को ग्राम पंचायत लाखेटाली मे आयोजित शिविर मे प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि प्रार्थी ने इस न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (ए) उप धारा 1 के तहत आवेदन प्रस्तुत कर प्रार्थी के खेत मौजा विशनासर खसरा नं. 458/23 को जोड़ने हेतु रास्ता प्रप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया था। राजस्व आवेदन संख्या 173/2019 मे विप्रार्थी अणछीदेवी पत्नी खेराजराम जाति सुथार द्वारा अपनी खातेदारी भूमि खसरा नंबर 456/23 रकबा 16.14 बीघा मे से 0.07 बीघा भूमि राजस्थान सरकार के पक्ष में समर्पित करवा दी है जिसका नामान्तरकरण संख्या 87/20.10.2021 पारित होकर मुझे जमाबंदी नकल प्राप्त हो चुकी है। मेरा खेत ग्रेवल सड़क से कटाण रास्ते से जुड़ जाने के कारण मैं मैरा आवेदन विड्रो के जरिये खारिज करवाना चाहता हूँ मैं आगे दावा नहीं चलाना चाहता हूँ। अतः जरिये विड्रो आवेदन खारिज फरवाने की कृपा करावें। अतः प्रार्थी केसाराम पुत्र जालूराम जाति सुथार निवासी विशनासर मूढ़ो की ढ़ाणी द्वारा दिनांक 20.10.2021 को ग्राम पंचायत लाखेटाली मे आयोजित शिविर मे प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर प्रार्थी द्वारा आवेदन को जरिये विड्रो खारिज किया जाता है। पत्रावली सुमार फैसल होकर दाखिल दफ्तर हो। आदेश मजमे आम मे सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी बाड़मेर